भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4342

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का जल चक्रण और संचयन के लिए उपयोग

4342. श्री शंकरभाई एन. वेगड़ :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का जल चक्रण और जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने की कोई योजना है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास गुजरात में ओएनजीसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का जल संचयन के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) धनराशि आवंटित नहीं की जाती। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और (4) के अनुसार अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदों के लिए सीएसआर धनराशि के आबंटन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार कंपनी के बोर्ड का है। 'जल चक्रण और जल संचयन' इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध शीर्ष "**पर्यावरण सुस्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन**" या "**ग्रामीण विकास**" के अधीन आते हैं।

(ख): ओएनजीसी ने गुजरात में जल संचयन के लिए सीएसआर धनराशि में से वर्ष 2009-10 और 2016-17 में क्रमशः 91.52 लाख रुपए और 6.50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसके विवरण इस प्रकार हैं:-

(i) मेहसाना क्षेत्र में और उसके आस-पास के परिचालन क्षेत्रों में 09 रिचार्ज ट्यूबवेल के निर्माण के लिए गुजरात जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड, जीटीडब्ल्यू डिविजन, अहमदाबाद (गुजरात) को 91.52 लाख रुपए की वित्तीय सहायता।

(ii) 6.50 लाख रुपए की लागत से गांव जागुदन, तालुक और जिला मेहसाना में रिचार्ज ट्यूबवेल के लिए वित्तीय सहायता।

*****